प्रेस नोट 16.10.2021

रजिस्टर संस्था (कृषि पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान-कपास) खोलकर फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से रूपये ठगने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी के रुपये से खरीदी गई स्विफ्ट कार बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 15.10.2021 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सरवां से मु0अ0सं0 499/21 धारा 420,467,468,471 भादवि0 में वांछित अभियुक्त संजय यादव पुत्र घूरा यादव निवासी सरवां थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा कई वर्षो से एक रजिस्टर संस्था कृषि पर्यावरण एवं अनुसंधान संस्थान-कपास खोलकर तथा इन्टरनेट पर वेबसाइट बनाकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही थी। इसके संस्था के वार्षिक पुस्तिका में स्पष्ट लिखा है कि यह संस्था गांव-गांव में फ्रेन्चाइजी देगी लेकिन इसके द्वारा उक्त वेबसाइट पर मासिक वेतन के नाम पर नौकरी के लिए विज्ञप्ति निकाली गयी थी और ज्वाइनिंग के नाम पर प्रत्येक अभ्यर्थियों से 21-21 हजार रूपये सिक्योरिटी मनी जमा करायी जा रही थी जो नौकरी लगने पर 90 दिन के अन्दर वापस होने की बात कही गयी थी इसके द्वारा न किसी की ज्वाइनिंग कराई गयी न ही रूपये वापस किये गये। इसके द्वारा लोगों से जुड़ने का माध्यम यह था कि यह प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक स्तर पर गांव प्रधान को जरिए फोन के माध्यम उस गांव के बेरोजगार लड़को को अपने www.kapas.in वेबसाइट के बारे में सूचना देता था तथा उनसे आनलाइन फार्म फिलअप करवाता था। अभितक जांच में आस-पास के कई जनपदों के 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त है तथा और भी सूची प्राप्त हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके द्वारा कुशमौर के रिटायर्ड वैज्ञानिक का नाम इसके सस्था के बुकलेट पर दिया गया था जबकि उक्त वैज्ञानिक द्वारा जिलाधिकारी मऊ के यहा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनका इसके संस्था से काई सम्बन्ध नही है। यह संस्था उक्त गिरफ्तार संजय यादव द्वारा स्वयं चलाया जाता था तथा ठगी का कार्य भी इसके द्वारा स्वयं किया जाता था।

शांति भंग की अशंका में 14 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 16.10.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा राकेश यादव, रंजित यादव निवासीगण मनाजित, उमेश, दिनेश निवासीगण मोहरवापुर थाना चिरैयाकोट, थाना घोसी पुलिस द्वारा जितेन्द्र यादव निवासी चन्द्रापार, राजकुमार राजभर निवासी भेलउर चंगेरी थाना घोसी, हरिश्चन्द्र यादव, सनिल यादव निवासी मीरपुर हलधरपुर, सत्यप्रकाश, वकील निवासीगण सरियाबााद थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा राजू निवासी नगरा जनपद बलिया, मिथिलेश कुमार निवासी तरवाडरारी थाना हलधरपुर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सिगतुल्लाह निवासी भीरा थाना घोसी, आमिर निवासी जमीन बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालन न्यायालय किया गया।